

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
निकेश राय उर्फ़ पियूष राज एवं अन्य
बनाम

बिहार राज्य

2018 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.117

के साथ

2018 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.199

19 मई 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. एम. बदर एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र शेखर झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अभियोजन ने मात्र एक नेत्रसाक्षी की गवाही के आधार पर अपीलकर्ताओं का अपराध संदेह से परे सिद्ध किया?

हेडनोट्स

शव-परीक्षण प्रतिवेदन से यह सिद्ध होता है कि तीनों मृतकों की मृत्यु गोली लगने से हुई थी। अन्वेषण अधिकारियों ने कमरे की दीवारों पर कई गोलीबारी के निशान पाए और घटनास्थल से लगभग 40 खोखे तथा एक मिसफायर कारतूस जब्त किया, जो अंधाधुंध फायरिंग की उस कहानी का समर्थन करते हैं, जैसा कि अपीलकर्ता/दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा किया गया। गवाह संख्या-1 के प्रतिपरीक्षण से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जो उसकी घटना संबंधी गवाही (जो उसने विचारण न्यायालय में नेत्रसाक्षी के रूप में दी) पर संदेह उत्पन्न करे। (कंडिका 29)

गवाह संख्या-1 की प्रत्यक्षदर्शी गवाही, चिकित्सकीय साक्ष्य और जब्ती सूची से पुष्ट होती है। गवाह संख्या-1 की गवाही केवल इसलिए अस्वीकार नहीं की जा सकती कि उसमें कुछ महत्वहीन, सामान्य या स्वाभाविक विरोधाभास पाए गए। मृतकों पर अपीलकर्ता/दोषसिद्ध अभियुक्तों ने दिनदहाड़े हमला किया, जहाँ हमले का कारण भी स्पष्ट था क्योंकि अभियुक्त/अपीलकर्ता/दोषसिद्ध अभियुक्त और सूचक के बीच पूर्व शत्रुता थी। (कंडिका 30)

दोषसिद्धि और दंडादेश के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। (कंडिका 31)

न्याय दृष्टान्त

कल्याण कुमार गोगोई बनाम अशुतोष अग्रहोत्री, (2011) 2 एससीसी 532; सजु बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 2001 एससी 175; म.प्र. राज्य बनाम रमेश, (2011) 4 एससीसी 786; मेकला शिवैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 2022 एससी 3378

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860 : धारा 302, 34, 120B; शस्त्र अधिनियम, 1959 : धारा 27(1)

मुख्य शब्दों की सूची

नेत्रसाक्षी गवाही; आपराधिक षड्यंत्र; शस्त्र साक्ष्य; तिहरा हत्या; पूर्व शत्रुता; एके-47 रायफल; धारा 302 भा.दं.सं.; धारा 120B भा.दं.सं.; धारा 27 शस्त्र अधिनियम; एकल गवाह पर आधारित दोषसिद्धि

प्रकरण से उत्पन्न

छपरा टाउन थाना कांड संख्या 154/2011; सत्र वाद संख्या 107/2012, 4868/2014

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2018 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 117 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री राजेन्द्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री सत्येन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता; श्री विक्रमदेव सिंह, अधिवक्ता; श्री मुकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री बिनोद बिहारी सिंह, स.लो.अ.;

(2018 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 199 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री राजेन्द्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री सत्येन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता; श्री विक्रमदेव सिंह, अधिवक्ता; श्री मुकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता;

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री बिनोद बिहारी सिंह, स.लो.अ.

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2018 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.117**

थाना काण्ड संख्या-154 वर्ष-2011 थाना-छपरा टाउन जिला-सारण से उद्भूत

=====

1. निकेश राय उर्फ पीयूष राज, पिता-लक्ष्मण राय, निवासी-रामगढ़ा, थाना-अवतारनगर, जिला-सारण।
2. शंभू राय, पिता-स्वर्गीय राम नारायण राय, निवासी,गाँव-नारायणपुर, थाना-गरखा, जिला-सारण।

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य।

.....उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2018 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.199

थाना काण्ड संख्या- 154 वर्ष- 2011 थाना- छपरा टाउन जिला- सारण से उद्भूत

=====

अविनाश राय, पिता- जमदार राय, निवासी, गाँव-बनवारी बसंत, थाना- गरखा, जिला- सारण का निवासी।

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य।

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

(2018 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.117 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री राजेन्द्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सत्येन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता
श्री विक्रमदेव सिंह, अधिवक्ता
श्री मुकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री बिनोद बिहारी सिंह, स.लो.अ.

(2018 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.199 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री राजेन्द्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सत्येन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता
 श्री विक्रमदेव सिंह, अधिवक्ता
 श्री मुकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता
 उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री बिनोद बिहारी सिंह, स.लो.अ.

=====

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. एम. बदर

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

सी.ए.वी. निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)

दिनांक: 19.05.2023

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री बिनोद बिहारी सिंह को आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 117/2018 और आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 199/2018 दोनों में सुना गया।

2. उपर्युक्त दोनों अपीलें सत्र परीक्षण संख्या 107/2012/4868/2014 (छपरा टाउन थाना काण्ड संख्या 154/2011 से उद्भूत) में पारित दिनांक 18.12.2017 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 22.12.2017 के सजा के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गयी है, जो कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, 9 सारण(छपरा) द्वारा पारित किया गया था, जहां अपीलकर्ता संख्या 1, निकेश राय उर्फ पियूष राज को आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 117/2018 के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के साथ पठित धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27(1) के तहत कथित अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और कारावास की सजा सुनाई गयी थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 120 बी के तहत आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना और अपीलकर्ता संख्या 2 शम्भू राय को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ धारा 120 बी

के तहत आरोपित अपराधों के लिए और 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, अपीलकर्ता अविनाश राय को आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 199/2018 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 120 बी के तहत आरोपित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गयी और जुर्माना न अदा करने की स्थिति में छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी। उन्हें शस्त्र अधिनियम की धारा 27(1) के तहत भी दोषी ठहराया गया और 1000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी। 5000/- का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर छह माह का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।

3. उपरोक्त दोनों आपराधिक अपीलों को एक साथ सुना गया और इस सामान्य निर्णय के माध्यम से निर्णय लिया गया।

4. इस मामले का तथ्यात्मक सार सूचक, शशि भूषण सिंह (अ.सा.-2) की दिनांक 20.07.2011 की लिखित सूचना से प्राप्त होता है कि उसका छोटा भाई, मणि भूषण सिंह, अपने गाँव "झौआ बसंत" से लगभग 1:00 बजे अपने मित्र पप्पू सिंह के घर व्यापारिक मामलों पर चर्चा करने और उसके बाद शाम को ट्रेन से लखनऊ जाने के लिए निकला था। इसी बीच, उसे लगभग 3:30 बजे घोष कॉलोनी, थाना मुफ्फसिल, छपरा निवासी चंद्रशेखर सिंह का फोन आया कि तुरंत पप्पू जी के घर आ जाओ, जहाँ अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जो अभी भी जारी है, जिसमें 3-4 लोग गोली लगने से घायल हो गए। उक्त सूचना पर, सूचक (अ.सा.-2) घटनास्थल पर गया और पाया कि उसका भाई मणि भूषण सिंह, उसका चालक दिनेश यादव, पिता- भिखारी राय, निवासी- बनवारी बसंत, थाना- गरखा और देवेंद्र सिंह, पिता- स्वर्गीय सुदामा सिंह, निवासी- पिपरा थाना, पानापुर, गोली लगने से मृत पाए गए। उन्होंने पप्पू सिंह से घटना के बारे में पूछताछ की, जहाँ उन्हें पता चला कि 4-5 अज्ञात आरोपी एके-47 राइफल, कार्बाइन और रिवॉल्वर से लैस होकर वहाँ पहुँचे और पहली

मंजिल के कमरे में आते ही अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जहाँ मणि भूषण सिंह, दिनेश यादव और देवेंद्र सिंह मारे गए। उन्होंने संदेह जताया कि उनके भाई और अन्य लोगों की हत्या अविनाश राय, पिता- जमादार राय (अपीलकर्ता/दोषी), निवासी- बनवारी बसंत, थाना गरखा, निकेश राय उर्फ पीयूष राज (अपीलकर्ता/दोषी), पिता- लक्ष्मण राय, महेश राय, पिता- लक्ष्मण राय, दोनों निवासी- रामगढ़ा, थाना- औतर नगर, देवेंद्र सिंह उर्फ पुट्टू, निवासी- बनवार, थाना दाउदपुर और उनके सहयोगियों ने की है। संदेह का कारण यह बताया गया है कि ये सभी आरोपी सूचक और उसके दिवंगत भाई मणि भूषण सिंह के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध रखते थे क्योंकि उनके दोस्त संजय सिंह की कुछ साल पहले राकेश राय नामक व्यक्ति ने हत्या कर दी थी, जो सह-आरोपी महेश राय का भाई है। आगे बताया गया है कि वह मोहन राय नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में भी नामजद था, जो सह-आरोपी महेश राय का फूफा (उसके पिता की बहन का पति) था। यह भी बताया गया है कि राकेश राय, मनोज राय और मनीष कुमार पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे, जहाँ आरोपियों ने उस पर पुलिस जासूस होने का संदेह जताया था। इन सभी घटनाओं ने सामूहिक रूप से शत्रुता की सीमा को बढ़ा दिया, जहाँ उसे जान से मारने की धमकी मिली थी। यह भी बताया गया है कि उसे इस घटना से पहले सूचना मिली थी कि अविनाश राय, मुकेश राय, महेश राय और अन्य से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कहीं 20 लाख रुपये लूटे गए थे, और उक्त मामले में एसटीएफ टीम भी उनके गाँव गई थी और इसके अलावा, उसी लूटे गए पैसे से एक एके-47 खरीदी गई थी। एके 47 खरीदने से पहले ही उनके पास कार्बाइन और रिवॉल्वर मौजूद थे। सूचक ने आगे बताया कि इस घटना के 2-3 दिन पहले, उसे और उसके मृतक भाई, मणि भूषण सिंह को जान से मारने की धमकी मिली थी, लेकिन उन्होंने इसे बहुत ही हल्के में लिया क्योंकि उन्हें ऐसी धमकियां मिलने की आदत थी। लेकिन अब वह यह दावा कर रहा है कि उसके भाई मणि भूषण, देवेंद्र सिंह और दिनेश यादव की हत्या अविनाश राय (अपीलकर्ता), पिता- जमादार राय, निवासी- बनवारी बसंत, थाना गरखा, निकेश राय उर्फ

पीयूष राज (अपीलकर्ता) और महेश राय, दोनों पिता- लक्ष्मण राय, निवासी- राम गढ़ा, थाना औत्तर नगर, देवेंद्र सिंह उर्फ पुट्टू सिंह, पिता- अज्ञात, निवासी बनवार, थाना दाउदपुर और उनके सहयोगियों ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से की है।

5. उपरोक्त लिखित सूचना के आधार पर, छपरा टाउन थाना कांड संख्या 154 दिनांक 20.07.2011 को धारा 302/120बी/34 सहपठित 27(3) शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत चार नामजद अभियुक्तों, अर्थात् अविनाश राय, पिता- जमादार राय, निकेश राय उर्फ पीयूष राज और महेश राय, दोनों पिता- लक्ष्मण राय, देवेंद्र सिंह उर्फ पुट्टू सिंह, पिता- अज्ञात और अज्ञात सह-अभियुक्त व्यक्तियों (संख्या निर्दिष्ट नहीं) के विरुद्ध दर्ज किया गया था। जाँच के बाद, पुलिस ने निकेश राय उर्फ पीयूष राज, अविनाश राय और शंभू राय (सभी अपीलकर्ता/दोषी) के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए, विद्वान क्षेत्राधिकार न्यायिक दंडाधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 120बी और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 (3) के तहत अपीलकर्ताओं/दोषियों के विरुद्ध संज्ञान लिया। तदनुसार, अपीलकर्ताओं/दोषियों के विरुद्ध आरोप तय किए गए, जहाँ अपीलकर्ताओं/दोषियों ने "दोषी नहीं" होने का तर्क दिया और अपने मुकदमे की मांग की।

6. मुकदमे के बाद, अपीलकर्ताओं/दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 120बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (3) के तहत दोषी ठहराया गया और तदनुसार जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

7. इसलिए, वर्तमान अपील।

8. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपना मामला स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 12 गवाहों की जाँच की, जिनमें मंजीत कुमार सिंह, (अ.सा.-1), शशि भूषण सिंह, (अ.सा.-2), शरवन सिंह उर्फ शरवन राय, (अ.सा.-3), सुरेश राय, (अ.सा.-4) शामिल हैं, डॉ. रामेश्वर प्रसाद, (अ.सा. -5), डॉ. शैलेंद्र कुमार सिंह, (अ.सा.-6), डॉ. कृष्ण

मोहन दुबे, (अ.सा.-7), नंदू शर्मा, (अ.सा.-8), अरुण कुमार तिवारी, (अ.सा.-9), अनुज कुमार सिंह, (अ.सा.-10), जलेश्वर कुमार राय, (अ.सा.-11) और घनश्याम चौधरी, (अ.सा.-12)।

9. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए मुकदमे के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों का भी प्रदर्शन किया जो इस प्रकार हैं:-

प्रदर्श-1-फर्दबयान पर सूचक के हस्ताक्षर।

प्रदर्श-2-पूछताछ प्रतिवेदन पर श्रवण कुमार के हस्ताक्षर।

प्रदर्श-2/1- जाँच प्रतिवेदन पर सुरेश राय के हस्ताक्षर।

प्रदर्श-3-मणि भूषण सिंह की पी. एम. प्रतिवेदन पर डॉ. रामेश्वर प्रसाद के हस्ताक्षर।

प्रदर्श-3/1-दिनेश राय की पी. एम. प्रतिवेदन पर डॉ. रामेश्वर प्रसाद के हस्ताक्षर।

प्रदर्श-3/2- देवेंद्र सिंह की पी. एम. प्रतिवेदन पर डॉ. रामेश्वर प्रसाद के हस्ताक्षर प्रदर्शित करें।

प्रदर्श-3/3- दिनेश राय की पी. एम. प्रतिवेदन पर डॉ. शैलेंद्र सिंह के हस्ताक्षर प्रदर्शित करें।

प्रदर्श-3/4 - मणि भूषण सिंह की पी. एम. प्रतिवेदन पर डॉ. शैलेंद्र सिंह के हस्ताक्षर प्रदर्शित करें।

प्रदर्श-3/5-देवेंद्र सिंह की पी. एम. प्रतिवेदन पर डॉ. शैलेंद्र सिंह के हस्ताक्षर प्रदर्शित करें।

प्रदर्श-3/6- दिनेश राय की शव-परीक्षण प्रतिवेदन।

प्रदर्श- 3/7- मणि भूषण सिंह की शव-परीक्षण प्रतिवेदन ।

प्रदर्श-3/8- -देवेंद्र सिंह की शव-परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शित करें।

प्रदर्श-4-फर्दबयान पर ए. के. तिवारी का लेखन और हस्ताक्षर।

प्रदर्श-4/1- फर्द बयान पर समर्थन।

प्रदर्श-4/2- औपचारिक प्राथमिकी।

प्रदर्श-5-मणि भूषण सिंह की जाँच प्रतिवेदन की कार्बन प्रति।

प्रदर्श-5/2- दिनेश राय की जाँच प्रतिवेदन की कार्बन प्रति।

प्रदर्श- 5/3- मणि भूषण सिंह की जाँच प्रतिवेदन पर अनुज सिंह के हस्ताक्षर।

प्रदर्श-5/4- देवेंद्र सिंह की जाँच प्रतिवेदन पर अनुज सिंह के हस्ताक्षर।

प्रदर्श-6-स्थल मानचित्र।

प्रदर्श-7-खाली कारतूसों की जब्ती सूची।

प्रदर्श-8- अपीलकर्ता संख्या 1 के मोबाइल की जब्ती पर जलेश्वर कुमार राय के हस्ताक्षर।

प्रदर्श-8/1- दोषी अविनाश राय के मोबाइल और सिम की जब्ती पर जलेश्वर राय के हस्ताक्षर।

अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को पुष्ट करने के लिए मुकदमे के दौरान

निम्नलिखित सामग्री भी प्रस्तुत की:-

प्रदर्श-I से XLI- खाली कारतूस सामग्री प्रदर्श के रूप में साबित हुए।

प्रदर्श-XLII से LII- मोबाइल, सिम, भारत के चुनाव आयोग का पहचान पत्र, नकद और अन्य कागजात।

10. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद होने के बाद, अपीलकर्ताओं/दोषियों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जहाँ उन्होंने पूरी तरह से निर्दोष होने का दावा किया और उन्हें बताई गई सभी अपराध जनक परिस्थितियों से इनकार करते हुए अपनी पूरी बेगुनाही और झूठे आरोप साबित किए।

अपीलकर्ताओं/दोषी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क ।

11. अपीलकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के साथ यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं/दोषियों को दोषी ठहराने के लिए मुकदमे के दौरान सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला स्थापित किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जाहिरा तौर पर, सूचना देने वाला घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और प्राथमिकी में दिए गए पूरे कथन का आधार पप्पु सिंह से प्राप्त सुनी-सुनाई बात है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्राथमिकी के विवरण के अनुसार थाना मुफ्फसिल की घोष कॉलोनी के निवासी चंद्रशेखर सिंह इस मामले के सूचक होंगे, जिन्होंने टेलीफोन पर सूचक को घटना के बारे में बताया। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इस घटना के केवल चश्मदीद गवाह, जो अ.सा.-1 हैं, अर्थात् मंजीत कुमार सिंह की दोनों मुकदमों में अलग-अलग जाँच की गई, अर्थात् सत्र परीक्षण संख्या 107/12 जिसे बाद में सत्र परीक्षण संख्या 107 ए/12 के साथ मिला दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना के तरीके के संबंध में उनके बयान में पर्याप्त विरोधाभास हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता/दोषी शंभू सिंह का नाम पहली बार अ.सा.-2 की पूछताछ के दौरान सामने आया, जो कोई और नहीं बल्कि सूचक है और जिसने प्राथमिकी में उसका नाम दर्ज नहीं कराया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है जो अ.सा.-2 के इस कथन को पुष्ट कर सके कि अपीलकर्ता/दोषी शंभू सिंह मुख्य सह-अभियुक्तों का जासूस था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अ.सा.-9, अर्थात्, अरुण कुमार तिवारी, जो इस मामले के जाँच अधिकारी हैं, के बयान के संदर्भ में भी घटनास्थल विवादित प्रतीत होता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अ.सा.-1, अर्थात्, मंजीत कुमार सिंह के अलावा, कोई भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। तर्कों का समापन करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त चश्मदीद गवाह, अर्थात् मंजीत कुमार सिंह (अ.सा.-1) के बयान में कई विरोधाभास हैं और इस आधार पर चश्मदीद गवाह के रूप में उसका बयान संदिग्ध प्रतीत

होता है और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रतीत होता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अ.सा.-9, जो तुरंत घटनास्थल पर गया था, अ.सा.-1 को नहीं ढूँढ पाया और यह तथ्य इसलिए भी पुष्ट होता है क्योंकि उसका बयान उसके गाँव में दर्ज किया गया था। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अ.सा.-1 को इस मामले में केवल दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए सुनियोजित तरीके से चश्मदीद गवाह के रूप में शामिल किया गया था।

12. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह दलील दिया गया है कि अ.सा.-2, अर्थात् शशि भूषण सिंह, जो इस मामले के सूचक हैं, एक सुनी-सुनाई गवाह हैं और इस तरह, इस मामले की नींव अ.सा.-1 द्वारा प्रदान की गई सुनी-सुनाई जानकारी पर आधारित है, जो घटना का एक चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य गवाह के रूप में ऐसा कोई भी बयान देने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं डालते हैं जैसा कि *कल्याण कुमार गोगोई बनाम आशुतोष अग्निहोत्री, (2011) 2 एससीसी 532* के मामले में माना गया है। यह भी कहा गया है कि यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार प्रदान करने वाला कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता/दोषी शंभू राय एक साजिश का सदस्य था। अ.सा.-1 या विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष गवाही दिए गए किसी भी गवाह या परिस्थितियों से ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है जो अपीलकर्ता/दोषी सहित किसी भी सह-अभियुक्त व्यक्ति द्वारा इरादा बनाए जाने के बाद उसके द्वारा कहा गया, किया गया या लिखा गया हो। अपीलकर्ता/दोषी शंभू राय के खिलाफ एकमात्र सबूत उपलब्ध है कि वह मुख्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों की सहायता करने वाले जहाज के रूप में काम करता था। प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने *साजू बनाम केरल राज्य*, जैसा कि *ए.आई. आर. 2001 एस. सी. 175* में बताया गया है, की प्रतिवेदन पर भरोसा किया।

विद्वान स.लो.अ. की ओर से तर्क

13. विद्वान स.लो.अ. ने राज्य की ओर से मामले पर बहस करते हुए कहा कि

यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी उचित संदेह से परे आपराधिक मामले को स्थापित करने के लिए गवाहों की संख्या की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यदि कोई एक गवाह ऐसा विश्वास व्यक्त कर रहा है कि किसी अन्य आरोपी ने अपराध नहीं किया है, तो दोषसिद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। यह इंगित किया गया है कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि छोटे विरोधाभासों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अ.सा.-1 घटना का चश्मदीद गवाह है और उसकी प्रतिपरीक्षा में कुछ भी सामने नहीं आया है, जिससे उसके बयान पर संदेह पैदा हो सकता है। इसने प्रस्तुत किया कि घटना तीन व्यक्तियों की एक क्रूर दिन के उजाले में हत्या है, जिसमें निषिद्ध हथियारों का उपयोग किया गया था। यह भी बताया गया है कि डॉ. रामेश्वर प्रसाद (अ.सा.-5), डॉ. शैलेंद्र कुमार सिंह (अ.सा.-6) और डॉ. कृष्ण मोहर दुबे (अ.सा.-7) के बयानों से अ.सा.-1, अर्थात् मंजीत कुमार सिंह के बयान की पूरी पुष्टि होती है, जिनका शव-परीक्षण किया गया और पाया गया कि मौत बंदूक की गोली से हुई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घटनास्थल से 40 से अधिक खाली कारतूस बरामद किए गए थे, जो यह दर्शाते हैं कि घटना के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी, जैसा कि अ.सा.-1 ने गवाही में बताया है। यह तथ्य जब्ती सूची (प्रदर्श-4) से भी पुष्ट होता है, जिसमें 40 खाली कारतूस और एक जीवित कारतूस बरामद होने का संकेत मिलता है, जिसका अ.सा.-4 ने भी समर्थन किया है। विद्वान स.लो.अ. ने आगे बताया कि अ.सा.-9, जो इस मामले का जाँच अधिकारी है, के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि जिस कमरे में गोलीबारी की गई थी, उसकी दीवार पर कुल 20 गोलियों के निशान देखे गए थे, जो अभियोजन पक्ष के इस कथन का भी समर्थन करते हैं कि घटनास्थल पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी, जिससे तीन व्यक्तियों की मौत हुई थी।

14. विद्वान स.लो.अ. ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिवेदनों पर भरोसा किया *मध्य प्रदेश राज्य बनाम रमेश (2011) 4 एससीसी 786* मामले में और *मेकाला सिवैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* मामले में भी, जिसे *एआईआर 2022 एससी 3378* के रूप में

प्रतिवेदित किया गया है। निर्णय के कंडिका-22 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक है:-

“22. अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के संबंध में कमजोर पक्ष में हैं क्योंकि यह तर्क दिया गया है कि अ.सा.-1 से अ.सा.-4 तेलुगु देशम पार्टी के समर्थक हैं और उनके साक्ष्य मृतक को लगी चोटों की प्रकृति, घटनास्थल आदि के संबंध में विरोधाभासी थे। आपराधिक मुकदमे में किसी गवाह की गवाही को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि इस मामले में या नारायण चेतनराम चौधरी एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में न्यायालय द्वारा मामूली विरोधाभास देखे गए हैं, जिसमें गवाही में विरोधाभासों के मुद्दे पर विचार करते हुए, आपराधिक मुकदमे में साक्ष्यों की मूल्यांकन करते हुए, यह माना गया था कि केवल महत्वपूर्ण विवरणों में विरोधाभास, न कि मामूली विरोधाभास, गवाहों की गवाही को अस्वीकार करने का आधार हो सकते हैं। निर्णय के कंडिका 42 में, यह निम्नानुसार माना गया है:-

“42. केवल ऐसी चूक जो भौतिक विवरणों में विरोधाभास है, का उपयोग गवाह की गवाही को बदनाम करने के लिए किया जा सकता है। पुलिस के बयान में चूक अपने आप में गवाह की गवाही को अविश्वसनीय नहीं बनाएंगी। जब न्यायालय में गवाह द्वारा दिया गया बयान उसके पहले के बयानों में बताए गए विवरण से अलग होता है, तो अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो जाता है और अन्यथा नहीं। सच्चे गवाहों के बयानों में मामूली विरोधाभास दिखाई देने के लिए बाध्य हैं क्योंकि स्मृति कभी-कभी गलत होती है और अवलोकन की भावना व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है। यदि पहले के बयान में चूक तुच्छ विवरणों की पाई जाती है, जैसा कि वर्तमान मामले

में पाया जाता है, तो अ.सा. 2 की गवाही में कोई कमी नहीं आएगी। भले ही किसी भी भौतिक बिंदु पर गवाह के बयान का विरोधाभास हो, लेकिन ऐसे गवाह की पूरी गवाही को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।”

निष्कर्ष:-

15. हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्रियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया और अपीलकर्ताओं/दोषियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स.लो.अ. को भी सुना।

16. अ.सा.-1, अर्थात् मंजीत कुमार सिंह, जो इस घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह हैं और जिनकी सुनवाई के दौरान गवाही हुई, के बयान पर चर्चा करना उचित होगा। इस गवाह की दो बार गवाही हुई। पहली बार सुनवाई संख्या 107/12 में और दूसरी बार, सत्र सुनवाई संख्या 107 ए/12 में अन्य सह-अभियुक्तों के मुकदमे के साथ मिलाने के बाद। इस गवाह की सुनवाई सत्र सुनवाई 107/12 में 07.11.2014 को हुई, जहाँ उसने गवाही दी कि घटना 20.07.2011 को लगभग 3:15 अपराह्न की है, उस समय वह राजेंद्र सरोवर स्थित सांसद उमा शंकर सिंह के घर में था, जहाँ पप्पू सिंह, चंद्रशेखर सिंह, देवेंद्र सिंह और 1-2 अज्ञात व्यक्ति भी मौजूद थे। बताया गया है कि जब वह वहाँ बैठा था, पप्पू सिंह अपना कपड़ा लेने चला गया, जबकि चालक दिनेश राय थोड़ी देर में लौटने का बहाना बनाकर नीचे गया, लेकिन 2-3 मिनट बाद ही वापस आकर चिल्लाया कि अविनाश राय, निकेश राय उर्फ पीयूष राज (दोनों अपीलकर्ता/दोषी), महेश राय और अजय उर्फ राजा "छप्पन" के साथ आ रहे हैं और जैसे ही वह कमरे में पहुँचा, सह-आरोपी भी वहाँ पहुँच गए तुरंत उसका पीछा करते हुए और मणि भूषण सिंह, देवेंद्र सिंह को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उसने गवाही दी है कि निकेश राय (अपीलकर्ता/दोषी) एके-47 से लैस था। अविनाश राय (अपीलकर्ता/दोषी) कार्बाइन से लैस था, महेश राय पिस्तौल से लैस था, राजा पिस्तौल से लैस था और सभी ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें गोली मणि भूषण सिंह और

देवेंद्र सिंह को लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। यह भी गवाही दी गई है कि चालक दिनेश राय भी दरवाजे के पीछे खड़ा था और जैसे ही वह अपीलकर्ताओं/दोषियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उन्होंने उसे भी मार डाला। यह भी गवाही दी गई है कि घटना के समय वह उसी कमरे में था, लेकिन उसे अपीलकर्ताओं/दोषियों से बचाने के लिए लकड़ी की चारपाई (चौकी) के नीचे छिपा दिया गया। उसने गवाही दी कि घटना का कारण पूर्व दुश्मनी थी क्योंकि सूचक, शशि भूषण राय (अ.सा.-2) पर अपीलकर्ता/दोषी निकेश राय के भाई की हत्या का संदेह था।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, उसने गवाही दी कि वह सूचक (अ.सा.-2) का रिश्तेदार नहीं है और उनके घर लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उसने यह भी बताया कि घटना की तारीख को, वह मृतक मणि भूषण सिंह के साथ उसे छपरा छोड़ने गया था, जबकि वह बनारस जा रहा था। यह दलील दी गई है कि सूचक (अ.सा.-2) और मृतक मणि भूषण सिंह की बहन प्रभु नाथ नगर की निवासी हैं। उसने पहले उसे उसके घर पर छोड़ा और उसके बाद घटनास्थल पर आया। बताया गया है कि घटनास्थल पर, भूतल पर एक कोचिंग क्लास का बोर्ड लगा था। वह पास के मंदिर और सांसद उमा शंकर सिंह के घर के बारे में जानकारी नहीं दे पाया, लेकिन उसने बताया कि उसके घर से पश्चिम में मुश्किल से 25 कदम की दूरी पर एक मंदिर स्थित है। उन्होंने यह भी कहा कि एक सीढ़ी बाहर थी और एक सीढ़ी अंदर थी, जो घर की छत तक जाती थी। उन्होंने घटना के दिन अपने साथ कोई अंगरक्षक और हथियार होने से इनकार किया। अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका 11 में, उन्होंने गवाही दी कि जब आरोपी घटनास्थल पर आया, तो उसने खुद को लकड़ी की चारपाई यानी "चौकी" के नीचे छिपा लिया। उन्होंने पुलिस को दिए बयान में कहा कि दिनेश राय (मृतक) ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच अपीलकर्ता/दोषी अन्य सह-आरोपी के साथ वहाँ आ गए और वह दरवाजा बंद नहीं कर सके। उन्होंने यह भी गवाही दी कि घटना के दौरान उन पर कोई हमला नहीं किया गया और उन्होंने अपीलकर्ताओं/दोषियों को पकड़ने की भी

कोशिश नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी, लेकिन घटना के 5 मिनट बाद पुलिस वहाँ पहुँची और उन्होंने पुलिस को पूरी घटना बताई, जिसे पुलिस ने दर्ज कर लिया और उनके हस्ताक्षर भी लिए। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस उन्हें टाउन थाना ले आई, जहाँ उन्हें लगभग ढाई घंटे तक हिरासत में रखा गया और तब तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थाने पहुँच चुके थे। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पुलिस को घटना में उनकी संलिप्तता पर संदेह था, इसलिए उन्हें थाने में हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें सुरक्षा घरे में उनके घर छोड़ा। उन्होंने बताया कि वह हथियार मामले में जेल में थे, जहाँ उन्हें इस मामले के सूचक के साथ बैठे हुए पाया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनकी लाइसेंसी राइफल जब्त कर ली क्योंकि उन्हें अपनी राइफल रखने की आदत थी। वह अभियुक्तों की सही संख्या के बारे में गवाही देने में विफल रहे और इस बात से इनकार किया कि मृतक अपराधी थे और पिछली दुश्मनी के कारण अपीलकर्ताओं/दोषियों का नाम वर्तमान घटना के साथ दर्ज किया गया था। अब हम सत्र परीक्षण सं.107 ए/12 में दर्ज अ.सा.-1 के बयान की ओर मुड़ते हैं, जहाँ उन्होंने 20.07.2011 की घटना का भी समर्थन किया, जो लगभग अपराह्न 3:15 बजे हुई थी, लगभग उसी कथन के साथ जैसा उन्होंने सत्र परीक्षण सं.107/12 में अ.सा.-1 के रूप में अपनी मुख्य परीक्षा में दिया था, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, उसने गवाही दी कि वह लगभग 3:00 बजे घटनास्थल पर पहुँचा। उसने बताया कि पुलिस उसे सुरक्षा प्रदान करके घटनास्थल से ले गई। उसने यह भी बताया कि पुलिस ने खाली कारतूस जब्त किए और पप्पू सिंह (सह-आरोपी में से एक) पुलिस के मौके पर मौजूद रहने तक वहीं रहा। उसने यह भी बताया कि जब्ती सूची तैयार की गई थी जिस पर पप्पू सिंह के हस्ताक्षर थे। उसने यह भी बताया कि उसका पहला बयान शशि भूषण सिंह (अ.सा.-2) के साथ टाउन थाना काण्ड संख्या पर दर्ज किया गया था। उसने यह भी बताया कि उसका बयान घटना के 5-6 दिन बाद टाउन थाना पर दर्ज किया गया

था। उसने इस घटना से पहले अपीलकर्ताओं/दोषियों के साथ किसी भी तरह की दुश्मनी होने से इनकार किया। उसने यह भी बताया कि उसके भाई संजीत सिंह की हत्या के सिलसिले में महेश राय और मंगल राय को गिरफ्तार किया गया था और वही महेश राय वर्तमान मामले में आरोपी है। यह कहा गया है कि निकेश राय (अपीलकर्ता/दोषी) उक्त महेश राय का भाई है। उसने कंडिका-11 में स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनेश राय अकेले सीढ़ियों से नीचे गया और चिल्लाते हुए ऊपर आया कि अपीलकर्ता/दोषी अन्य सह-अभियुक्तों के साथ आ रहे हैं, लेकिन उसी समय अपीलकर्ता/दोषी और अन्य सह-अभियुक्त वहाँ आ गए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। यह कहा गया है कि डर के मारे वह कमरे के कोने में रखी लकड़ी की चारपाई यानी "चौकी" के नीचे छिप गया। यह कहा गया है कि डर के मारे उसने यह बात पुलिस को नहीं बताई। कंडिका-12 में उसने आगे स्पष्ट रूप से कहा कि वह कमरे के कोने में छिपकर पूरी घटना देख रहा था और यह भी कहा कि अपीलकर्ता/दोषी अन्य सह-अभियुक्तों के साथ पूर्व दिशा से कमरे में घुसे थे। उन्होंने पैरा-15 में यह भी कहा है कि घटना के बाद, आरोपी/अपीलकर्ता दोषी भाग गए और जब पुलिस घटनास्थल पर पहुँची, तो वहाँ कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने पहली बार मौके पर ही उनका बयान लिया था, लेकिन वह उस बयान पर हस्ताक्षर करने के बारे में निश्चित नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त कमरे में एक टेलीविजन सेट भी था और वह यह नहीं बता सकते कि क्या उस टेलीविजन सेट पर कोई गोली लगी थी। वह यह बताने में विफल रहे कि एके-56 और एके-47 से कितनी गोलीबारी की जा सकती है। उन्होंने अपीलकर्ताओं/दोषियों की ओर से विचारण न्यायालय में पेश हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस सुझाव को भी नकार दिया कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने यह कहने से इनकार कर दिया कि वह एक आपराधिक छवि वाला व्यक्ति है और चूँकि आरोपी महेश सिंह अपने भाई की हत्या में शामिल है, इसलिए वह इस मामले में झूठी गवाही दे रहा है।

17. अ.सा.-2 इस मामले का सूचक है, अर्थात्, शशि भूषण सिंह, जिसने अपने

मुख्य परीक्षण में भी गवाही दी थी कि घटना लगभग 3:15 अपराह्न की है, जो 20.07.2011 को हुई थी और उस समय वह छपरा के व्यवहार न्यायालय में था, जहाँ उसे चंद्रशेखर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने टेलीफोन पर सूचना दी कि तुरंत आ जा, क्योंकि पप्पू सिंह के आवास पर गोलीबारी हुई थी जिसमें मणि भूषण सिंह, दिनेश राय (चालक) और देवेंद्र सिंह मारे गए थे। यह गवाही दी गई है कि इस सूचना पर, वह पप्पू सिंह के आवास पर गया। घटनास्थल पर पहुँचने पर, उसने पाया कि पुलिस वहाँ पहले से ही मौजूद थी, जहाँ उसे मंजीत सिंह (अ.सा.-1) ने बताया कि दिनेश सिंह चिल्लाते हुए आया कि निकेश राय, अविनाश राय (दोनों अपीलकर्ता/दोषी), महेश राय, देवेंद्र सिंह उर्फ पुट्टू एके-47 राइफल लेकर आ रहे हैं। दिनेश राय ऊपर (घर की पहली मंजिल) आया, जहाँ आरोपी व्यक्ति जिनमें अपीलकर्ता/दोषी भी शामिल थे, उसका पीछा करते हुए ऊपर आ गए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। मंजीत (अ.सा.-1) ने उसे यह भी बताया कि वे एके-47, कार्बाइन और पिस्तौल से लैस थे। उसने यह भी गवाही दी कि उसने अ.सा.-1 से पूछा कि वे यहाँ क्यों आए हैं (मृतक के बारे में), जहाँ बताया गया कि पप्पू सिंह ने उसे व्यावसायिक मामले के सिलसिले में बुलाया था, जहाँ लखनऊ के लिए ट्रेन का टिकट पहले से ही बुक था। पप्पू सिंह ने अ.सा.-1 मंजीत को भी घटनास्थल पर बुलाया। यह गवाही दी गई कि पप्पू सिंह ने मणि भूषण (सूचक के मृतक भाई) से कहा था कि वह यहाँ हथियार लेकर न आए। उसने गवाही दी कि शंभू सिंह, आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 199/2018 का अपीलकर्ता/दोषी, एक लाइनर के रूप में कार्य करता है और अपीलकर्ताओं/दोषियों सहित सह-अभियुक्तों को गुप्त जानकारी प्रदान करता है। उसने यह भी गवाही दी कि महेश राय और निकेश राय (दोनों अपीलकर्ता/दोषी) के साथ उसके संबंध खराब थे और उक्त पुरानी दुश्मनी के कारण यह घटना घटी। उसने यह भी गवाही दी कि उसका बयान घटनास्थल पर ही दर्ज किया गया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर भी किए थे। इस गवाह ने लिखित सूचना पर अपने हस्ताक्षर किए, जो उसकी पहचान के आधार पर न्यायालय के समक्ष प्रदर्श-1 के रूप में प्रदर्शित हुई। उसने यह भी गवाही दी कि

उसका बयान लेने के बाद पुलिस उसके घर आई थी। उसने कटघरे में मौजूद सभी आरोपियों की पहचान की।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, उसने बताया कि पप्पू सिंह अपने मृतक भाई (मणि भूषण सिंह) के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार करता था और वह लगभग 4:15 बजे घटनास्थल पर पहुँचा। उसने यह भी बताया कि उसके पहुँचने से पहले पुलिस ने घटना के संबंध में किसी का बयान दर्ज नहीं किया था। उसने गवाही दी कि वह घटनास्थल पर मंजीत (अ.सा.-1) से मिला था और उसके पहुँचने से पहले पुलिस ने उसका बयान दर्ज नहीं किया था। उसने बताया कि उसने मंजीत से पूछा कि क्या उसने घटना के बारे में किसी को कुछ बताया था, तो उसने इनकार कर दिया। पुलिस ने उसके गाँव में उसका पुनः बयान दर्ज किया। उसने बताया कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा तो पप्पू सिंह वहाँ नहीं था। उसने गवाही दी कि जब वह घटनास्थल से निकल रहा था, तब पप्पू सिंह वहाँ आ गया था। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षण में आगे कहा कि उन्होंने अपनी लिखित जानकारी में यह उल्लेख नहीं किया कि उन्होंने पुलिस के सामने जो कुछ भी कहा, उसकी जानकारी का आधार पप्पू सिंह द्वारा दी गई जानकारी थी। उन्होंने अपने बयान में घटनास्थल पर मंजीत सिंह (अ.सा.-1) की मौजूदगी के बारे में बताने से भी इनकार किया, जबकि उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने अपने पुनर्बयान में पुलिस के सामने कहा था कि मंजीत (अ.सा.-1) ने उन्हें बताया था कि पप्पू सिंह ने उन्हें फोन पर लखनऊ साथ चलने के लिए कहा था। उन्होंने विशेष रूप से यह गवाही दी कि मंजीत (अ.सा.-1) को भी पप्पू ने बुलाया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी लिखित जानकारी और पुनर्बयान में उल्लेख किया है कि उन्हें मंजीत (अ.सा.-1) ने बताया था कि पप्पू सिंह ने उन्हें हथियारों के साथ न आने के लिए कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस मामले में देवेंद्र सिंह उर्फ पुट्टू का नाम एक आरोपी के रूप में लिया है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मंजीत (अ.सा.-1) घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और इस बात से भी इनकार किया कि अ.सा.-1 ने घटना के

संबंध में उनसे कुछ नहीं कहा था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि चूँकि कोई भी घटना का समर्थन नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने मंजीत (अ.सा.-1) को घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह बना दिया। उन्होंने झूठी गवाही देने से भी इनकार किया।

अपीलकर्ताओं/दोषियों सहित शेष सह-अभियुक्तों की ओर से आगे की प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता के सुझाव का जवाब देते हुए इस बात से इनकार किया कि पप्पू सिंह ने उन्हें बताया था कि 4-5 अज्ञात व्यक्तियों ने एके-47, कार्बाइन और रिवॉल्वर से गोलीबारी की थी, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने आगे गवाही दी कि पुलिस ने उनका बयान दोपहर 3:55 बजे दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि वह मसरख थाना मामला संख्या 129/12 का अभियुक्त है, जो शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अवतार नगर थाना काण्ड संख्या 60/13 में भी झूठा फंसाया गया था। उन्होंने कहा कि वह मोहन राय नामक व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन राज कुमार राय को जानने से इनकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अवतार नगर थाना काण्ड संख्या 69/2005 में भी झूठा फंसाया गया था, जो मोहन राय और राज कुमार राय के अपहरण के संबंध में दर्ज किया गया था। उन्होंने पूर्व रंजिशों के कारण झूठी गवाही देने से इनकार किया।

18. अ.सा.-3 शरवन सिंह उर्फ शरवन राय, जो घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं और उन्हें टेलीविजन समाचारों के माध्यम से घटना के बारे में पता चला। वह मृतक दिनेश राय का भतीजा है। उन्होंने मृतक दिनेश राय का शव प्राप्त किया और जाँच प्रतिवेदन पर भी हस्ताक्षर किए, जिसे उन्होंने मुकदमे के दौरान पहचाना और प्रदर्श संख्या-2 के रूप में प्रदर्शित किया गया। उसका कहना है कि उसका बयान पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया गया था।

प्रतिपरीक्षण करने पर उसने कहा कि पुलिस ने उसे शव देने के बाद उसके हस्ताक्षर कर दिए।

19. अ.सा.-4 सुरेश राय हैं, जो मृतक दिनेश राय की जाँच प्रतिवेदन के गवाह हैं, और उन्होंने मुकदमे के दौरान न्यायालय के समक्ष उक्त जाँच प्रतिवेदन की पहचान की थी और इसलिए उनके हस्ताक्षर **प्रदर्श संख्या-3** के रूप में प्रदर्शित किए गए थे।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, उन्होंने बताया कि हस्ताक्षर डॉक्टर द्वारा लिए गए थे।

20. अ.सा.-5 डॉ. रामेश्वर प्रसाद हैं जिन्होंने यह बयान दिया कि 20.07.2011 पर उन्हें सदर अस्पताल, छपरा में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। मृतक मणि भूषण सिंह का शव परीक्षण डॉ. के. एम. दुबे (अ.सा.-7) ने उनकी उपस्थिति में किया। वह चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों में से एक थे और उन्होंने अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिसे **प्रदर्श 2** के रूप में चिह्नित किया गया है।

इसी प्रकार उन्होंने मृतक दिनेश राय की शव परीक्षण प्रतिवेदन पर भी अपने हस्ताक्षर किए, जो डॉ. के.एम. दुबे (अ.सा.-7) द्वारा की गई थी। उनकी पहचान के आधार पर, इसे **प्रदर्श-2/ए** के रूप में चिह्नित किया गया।

अंत में, उन्होंने तीसरे मृतक, देवेंद्र सिंह की शव परीक्षण प्रतिवेदन पर अपने हस्ताक्षर की भी पहचान की, जिसे डॉ. के. एम. दुबे (अ.सा.-7) द्वारा किया गया था, जिसे उनकी पहचान पर **प्रदर्श-2/बी** के रूप में चिह्नित किया गया था।

उन्होंने प्रतिपरीक्षण में गवाही दी कि शव-परीक्षण डॉ. के.एम. दुबे (अ.सा.-7) द्वारा किया गया था और वह केवल चिकित्सा बोर्ड के सदस्य थे।

21. अ.सा.-6 डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह हैं। 20.07.2011 को, वे सदर अस्पताल, छपरा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे और उस चिकित्सा दल के सदस्य भी थे जिसने तीन मृतकों, दिनेश राय, मणि भूषण सिंह और देवेन्द्र सिंह का शव-परीक्षण किया था। यह अभिकथन है कि शव-परीक्षण डॉ. कृष्ण मोहन दुबे (अ.सा. 7) ने किया था। उन्होंने तीनों शव-परीक्षण प्रतिवेदनों पर अपने हस्ताक्षर किए, जिन्हें उनकी पहचान पर क्रमशः **प्रदर्श 2/सी**, **2/डी** और **2/ई** के रूप में अंकित किया गया था।

प्रतिपरीक्षण में यह अभिकथन किया गया कि उपाधीक्षक, छपरा के कहने पर चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन वह पत्र उनके पास नहीं है।

22. अ.सा.-7 डॉ. कृष्ण मोहन दुबे हैं, 20.07.2011 को वे सदर अस्पताल छपरा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे। उस दिन उन्होंने रात्रि 9.30 बजे दिनेश राय, उम्र 30 वर्ष, पिता- भिखारी राय, ग्राम बिशंभरपुर, डाकघर चिन्तामनगंज, थाना गरखा, जिला- सारण, के शव का शव-परीक्षण किया और निम्नलिखित पूर्व-मृत्यु और शव-परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया:-

1. बाहरी चोटें

क. गर्दन के बाईं ओर की पार्श्व दीवार पर 2 इंच व्यास का फटा हुआ घाव, जिसका किनारा घाव जैसा था। गर्दन में गहरी गड़्ढी (जो प्रवेश घाव था)।

ख. दाहिनी आँख की पुतली और खोपड़ी के टेम्पोरल क्षेत्र के आसपास लगभग 4 इंच व्यास का कटा हुआ छिद्रित घाव (निकास घाव)।

उपरोक्त दोनों चोटें एक-दूसरे से जुड़ी हुई थीं। दाहिनी आँख की पुतली गायब थी।

ग. 1/4" व्यास का फटा हुआ छिद्रित घाव आवेशित मार्जिन के साथ और दूसरा फटा हुआ छिद्रित घाव 1/2" व्यास का उसी तल में और उसी दाहिनी भुजा में, पहला घाव प्रवेश घाव था और दूसरा निकास घाव था जो एक दूसरे से संचार कर रहे थे।

घ. जली हुई मांसपेशी में घाव और दाहिनी जांघ पर 4 इंच गहरी और 3 इंच गहरी त्वचा।

विच्छेदन पर

मस्तिष्क को चोट लगी थी और मस्तिष्क की सामग्री बाईं अस्थायी हड्डी के माध्यम से बाहर आ रही थी। अस्थायी हड्डी टूट गई थी।

सभी विसरा पीले और अक्षत थे। एक्स रे खोपड़ी की हड्डी दाहिने अस्थायी

हड्डियों का फ्रैक्चर दिखा रही है।

एक्स-रे प्रतिवेदन के अनुसार मौत का कारण रक्तस्राव और सदमा था, जो संभवतः आग के कारण हुआ था।

मृत्यु के बाद से छह से आठ घंटे तक समय बीत जाता है।

उन्होंने गवाही दी कि शव-परीक्षण प्रतिवेदन उनकी लिखित है और उस पर उनके हस्ताक्षर हैं, जिन्हें पहचान पत्र पर 2/एफ अंकित किया गया है।

2. उसी दिन उन्होंने मणि भूषण सिंह, पिता- गुंजेश्वर सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, ग्राम - घुवा बसंत, थाना - औतर नगर, जिला - सारण के शव का रात्रि 9.45 बजे शव-परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं।

बाहरी चोट:

क. खोपड़ी के पिछले हिस्से पर जले हुए मांसपेशियों के साथ आवेशित मार्जिन के साथ घाव। यह मस्तिष्क (प्रवेश घाव) की गहरी गुहा थी।

ख. दाहिने सामने के क्षेत्र पर घाव, इसके माध्यम से बाहर आना (निकास घाव), उपरोक्त दोनों चोटें एक दूसरे से संवाद कर रही थीं।

ग. दाएँ पार्श्व छाती की गेंद पर दो घाव वाले पंचचर घाव 2 "अलग और 1/2" व्यास प्रत्येक गुहा छाती तक गहरी है।

विच्छेदन पर

मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया था और मस्तिष्क का पदार्थ बाहर निकलने वाले घाव से बाहर आ रहा था। दाहिना फेफड़ा क्षतिग्रस्त था, वक्ष गुहा रक्त से भरी हुई थी। यकृत का दाहिना लोब क्षतिग्रस्त था, दाहिनी तीसरी और चौथी पसलियाँ फेफड़ों के अंदर हड्डियों के टुकड़ों से टूटी हुई थीं, यकृत में 1/2 इंच लंबा और 1/6 इंच व्यास का एक छोटा सा धातु का टुकड़ा मिला था, और दाहिने स्कैपुलर सिर में एक और नुकीला धातु का शरीर मिला था, जिसे संरक्षित किया गया था, अन्य आंतरिक अंग पीले और बरकरार थे।

शव-परीक्षण जाँच और एक्स-रे छाती और अन्य एक्स-रे के अनुसार, मौत का कारण रक्तस्राव और आग्नेयास्त्रों के कारण होने वाला सदमा बताया गया था।

मृत्यु के बाद से बीता समय 6 से 8 घंटे।

उन्होंने गवाही दी कि शव-परीक्षण प्रतिवेदन उनके द्वारा लिखी गई है और उस पर उनके हस्ताक्षर हैं, जिन्हें पहचान के बाद प्रदर्श 2/जी के रूप में चिह्नित किया गया।

3. उसी दिन उन्होंने रात 10 बजे देवेंद्र सिंह, पिता- स्वर्गीय सुदामा सिंह, आयु 45 वर्ष, ग्राम-पिपरा, थाना-पानापुर, जिला-सारण के शव का शव-परीक्षण किया और उनके शव पर पूर्व-मृत्यु और शव-परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की।

बाह्य परीक्षा

क). बायीं तरफ़ से 3 इंच ऊपर, बायीं श्रोणि शिखा पर कटा हुआ घाव, जिसके किनारे पर घाव है और घाव की गुहा के चारों ओर कालापन है जो उदर तक गहरा है (प्रवेश घाव)।

ख. दाहिने पार्श्व भाग पर 1 इंच व्यास और दाहिने श्रोणि शिखा से 4 इंच ऊपर एक क्षतिग्रस्त छिद्रित घाव, जिसमें से गति घाव से बाहर निकली हुई है। उपरोक्त दोनों घाव एक-दूसरे से संवाद करते हैं।

(बाह्य घाव)

ग. बायीं पिंडली पर 1/4" व्यास का घाव है, जिसके किनारे पर घाव है और घाव के आसपास कालापन है।

विच्छेदन पर

छोटी आंत कई जगहों पर क्षतिग्रस्त और छिद्रित थी। उदर गुहा में पदार्थ और रक्त भरा हुआ था। यकृत क्षतिग्रस्त था और अन्य आंतरिक अंग पीले और अक्षुण्ण थे। बाएँ टिबिया और टिबुला में फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर वाली जगह पर धातु के तीन छोटे टुकड़े पाए गए

जिन्हें सुरक्षित रखा गया है।

उन्होंने मृत्यु का कारण रक्तस्राव और सदमे की संभावना को बताया, जो आग्नेयास्त्र की चोटों के कारण हो सकता है।

मृत्यु से लेकर शव-परीक्षण तक 6 से 8 घंटे का समय लगा। उन्होंने गवाही दी कि शव-परीक्षण प्रतिवेदन उनके पेन में है और उस पर उनके हस्ताक्षर हैं, जो उनकी पहचान पर प्रदर्श 2/एच के रूप में अंकित थे।

23. अ.सा.-8 नंदू शर्मा हैं, जो इस मामले के अनुसंधान अधिकारियों में से एक हैं, जिन्होंने अपने मुख्य-परीक्षण में यह बयान दिया कि उन्होंने 30.07.2011 को इस मामले की जाँच का कार्यभार संभाला था और जाँच का कार्यभार संभालने के बाद सूचक (अ.सा.-2) का पुनः बयान दर्ज किया। उन्होंने यह भी बयान दिया कि आरोपियों को उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने उनका स्वीकारोक्ति बयान भी दर्ज किया था। उन्होंने शव-परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए भी गवाही दी और जाँच के दौरान गवाहों अरुण श्रीवास्तव, मुन्ना शर्मा, राज किशोर पांडे, छोटन प्रसाद के बयान दर्ज किए और जाँच पूरी होने के बाद तदनुसार आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

प्रतिपरीक्षण पर उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि वह इस मामले के जाँच अधिकारी के साथ कभी नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने केस डायरी के कंडिका-34 में कहा कि वह पूर्व के साथ दहियावाना टोला के पास गए थे। इस मामले के अनुसंधान अधिकारी घनश्याम सिंह उर्फ पप्पु सिंह को गिरफ्तार करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी शशि भूषण सिंह (अ.सा.-2) को पुलिस थाना में पेश होने के लिए नोटिस जारी नहीं किया। यह कहा गया है कि अ.सा.-2 अगले दिन पुलिस स्टेशन में पेश होता है जब वह कार्यभार संभालता है। उनके द्वारा कहा गया है कि अ.सा.-2 ने उन्हें बताया कि मंजीत (अ.सा.-1) जब वहां पहुंचे तो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि जाँच के दौरान अ.सा.-2 द्वारा कहा गया था कि उन्हें अगले दिन

अपने चचेरे भाई मृत्युंजय सिंह से घटना के बारे में पता चला। उन्होंने यह भी कहा कि अ.सा.-2 ने खुलासा किया कि पुट्टू सिंह उक्त घटना में शामिल नहीं थे। यह भी कहा गया है कि उन्हें (अ.सा.-2) घटना के बारे में मंजीत सिंह (अ.सा.-1) से घटना के बाद पता चला। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनकी जाँच त्रुटिपूर्ण है।

प्रतिपरीक्षण पर, उन्होंने कहा कि मंजीत (अ.सा.-1) ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि पप्पु सिंह ने उन्हें लखनऊ जाने के लिए बुलाया। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि अ.सा.-1 ने जाँच के दौरान कहा कि उन्हें पप्पु सिंह ने अस्त्र/शास्त्रों के साथ नहीं आने के लिए कहा था।

24. अ.सा.-9 अरुण कुमार तिवारी हैं, जो इस मामले के अनुसंधान अधिकारी भी हैं। उन्होंने अपने मुख्य-परीक्षण में गवाही दी कि घटना की तिथि अर्थात् 20.07.2011 को वे टाउन थाना के थाना प्रभारी के रूप में तैनात थे। उन्होंने शशि भूषण सिंह (अ.सा.-2) का बयान दर्ज किया और जिसके आधार पर टाउन थाना कांड संख्या 154/2011 दर्ज किया गया। उन्होंने फर्दबयान पर अपनी लिखावट और हस्ताक्षर की पहचान की, जो उनकी पहचान पर प्रदर्श-4 के रूप में प्रदर्शित हुआ। उन्होंने अपने अनुमोदन की भी पहचान की, जो उनके हस्तलेख में था और हस्ताक्षर के साथ था, जिसे उनकी पहचान पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रदर्श-4/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया और औपचारिक प्राथमिकी पर उनके हस्ताक्षर, भी प्रदर्श संख्या 4/2 के रूप में प्रदर्शित किए गए। उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने इस मामले की जाँच का कार्यभार स्वयं संभाला था। उन्होंने तीनों मृतकों के जाँच प्रतिवेदन पर उपनिरीक्षक श्री संजय कुमार के हस्ताक्षर की पहचान की, जो उनकी पहचान पर क्रमशः प्रदर्श संख्या 5, 5/1 और 5/3 के रूप में प्रदर्शित थे।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, उन्होंने यह बयान दिया कि उन्होंने जाँच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए थे। उन्होंने घटना स्थल का वर्णन किया जो इमारत की पहली मंजिल है, जहाँ उत्तरी भाग में उमा शंकर सिंह, सांसद (सांसद सदस्य) और दक्षिणी भाग पप्पु

सिंह का था। उन्होंने कहा कि पप्पु सिंह के फ्लैट में दो कमरे थे, जो पूर्वी तरफ थे, जो बरामदे में खुलते हैं। इन दो कमरों में से, दक्षिण की ओर का कमरा घटना का सटीक स्थान था। कहा जाता है कि उन्हें उक्त कमरे की पश्चिमी दीवार के दरवाजे के पास देवेंद्र सिंह का शव मिला था। दूसरा शव भी पास में पड़ा था और यह मृतक मणि भूषण सिंह का था और तीसरा शव पूर्वोत्तर दीवार के कोने में था जो दिनेश राय का था। ये सभी शव खून से लथपथ पाए गए। उन्हें दक्षिण की ओर कमरे के अंदर एक लकड़ी का खाट यानी चौकी भी मिला। उन्हें मणि भूषण सिंह के शव के पास एक घूमने वाली कुर्सी भी मिली। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त कमरे की पश्चिमी दीवार और दरवाजे पर 10 (दस) गोलियों के निशान, उक्त कमरे की दक्षिणी दीवार पर 05 (पांच) गोलियों के निशान, (05) उक्त कमरे की उत्तरी दीवार पर पांच गोलियों के निशान और उक्त कमरे के बरामदे पर 40 खाली कारतूस भी मिले, जिनमें से एक में गलत तरीके से चलाई गई गोली थी। उन्होंने जाँच के दौरान घटना स्थल का नक्शा भी तैयार किया। यह भी कहा गया है कि तीनों व्यक्तियों की जाँच प्रतिवेदन उपनिरीक्षक संजय कुमार और श्री चरण राम की उपस्थिति में तैयार की गई थी, जिसे उनकी पहचान के आधार पर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ मृतक मणि भूषण सिंह की जाँच प्रतिवेदन **प्रदर्श संख्या 5** के रूप में प्रस्तुत की गई। मृतक देवेंद्र सिंह की जाँच प्रतिवेदन **प्रदर्श संख्या 5/1** के रूप में प्रस्तुत की गई और दिनेश राय की जाँच प्रतिवेदन **प्रदर्श संख्या 5/2** के रूप में प्रस्तुत की गई। उन्होंने खाली कारतूस और गलत तरीके से चलाई गई गोली को जब्त करने के लिए भी कहा और उनके निर्देश पर एस. आई. संजय कुमार ने अपनी जब्ती सूची तैयार की। जाँच प्रतिवेदन तैयार करने के बाद शवों को शव-परीक्षण के लिए भेज दिया गया। यह कहा जाता है कि उन्होंने घटना स्थल पर राजेश सिंह का बयान दर्ज किया, जिन्होंने कुल मिलाकर फर्दबयान का समर्थन किया था। उन्होंने मंजीत सिंह (अ.सा. -1) अपने गाँव बैकुंठपुर में 21.07.2011 पर। उन्होंने चश्मदीद गवाह के रूप में घटना का समर्थन करने वाले गवाह चंद्रशेखर सिंह और मृत्युंजय सिंह के बयान दर्ज करने

के लिए भी कहा। यह कहा गया है कि 30.07.2011 पर आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद, उसने आरोपी राजू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यह आगे कहा गया है कि 30.07.2011 पर उन्होंने थाना प्रभारी नंदू शर्मा (अ.सा.-8) को जाँच का प्रभार सौंप दिया। उन्होंने जब्ती सूची में एस.आई. संजय कुमार के हस्ताक्षर की भी पहचान की, जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष **प्रदर्श संख्या 7** के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक, सारण को 20.07.2011 को लगभग 3.30 बजे उनके मोबाइल पर घटना की सूचना दी गई थी। समय 3.33 बजे दर्ज किया गया था। बताया गया कि वे लगभग 3.55 बजे घटनास्थल पर पहुँचे और लगभग 5.00 बजे फर्दबयान दर्ज किया। बताया गया कि सभी कागजात 5.00 बजे के बाद तैयार किए गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने डायरी में यह नहीं लिखा कि 3.55 बजे से 5.00 बजे के बीच उन्होंने क्या जाँच की। बताया गया कि वे घटना स्थल से थाना प्राथमिकी दर्ज कराने गए थे, जहाँ समय 5.00 बजे लिखा था। उन्होंने यह भी बताया कि देवेन्द्र सिंह की जाँच प्रतिवेदन लगभग 5.00 बजे तैयार की गई थी। यह भी कहा गया है कि फर्दबयान दर्ज करते समय उन्हें पता चला कि मृतक मृत्युंजय सिंह के अलावा, मंजीत कुमार सिंह (अ.सा.-1) और चंद्रशेखर सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे। यह भी कहा गया है कि ये तीनों व्यक्ति वहाँ नहीं मिले और उसी रात लगभग 10.45 बजे पुलिस अधीक्षक, सारण से इन तीनों व्यक्तियों का बयान दर्ज करने का निर्देश प्राप्त हुआ। तदनुसार, वे मृत्युंजय सिंह के गाँव गए, लेकिन वे घर पर नहीं मिले और मंजीत कुमार सिंह (अ.सा.-1) के घर जाकर उनका बयान दर्ज किया। उनका बयान 21.07.2011 को लगभग 1.45 बजे दर्ज किया गया। उन्होंने चंद्रशेखर सिंह का भी बयान दर्ज किया। उन्होंने अपीलकर्ताओं/दोषियों सहित अभियुक्तों को सूचक (अ.सा.-2) के साथ मिलीभगत करके फंसाने के सुझाव से इनकार किया।

सह-अभियुक्त पप्पू सिंह की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि सूचक/अ.सा.-2 ने अपना फर्दबयान दर्ज करते समय पप्पू सिंह के खिलाफ कुछ नहीं कहा।

पप्पू सिंह का नाम भी उनके पुनर्बयान दर्ज करते समय नहीं लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि घनश्याम सिंह उर्फ पप्पू सिंह ज़ब्ती सूची का गवाह है और उसका बयान भी जाँच के दौरान दर्ज किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि मंजीत सिंह (अ.सा.-1) ने भी पप्पू सिंह के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने यह भी कहा कि मृत्युंजय सिंह और चंद्रशेखर सिंह ने भी पप्पू सिंह के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी कहा कि शशि भूषण सिंह (अ.सा.-2) ने अपने पुनर्बयान में यह कभी नहीं कहा कि मंजीत (अ.सा.-1) ने उन्हें बताया था कि पप्पू सिंह ने उन्हें लखनऊ चलने के लिए बुलाया था। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें पप्पू सिंह से घटना के बारे में पता चला और उन्होंने अपना बयान पप्पू सिंह द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सूचक (अ.सा.-2) ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि मंजीत सिंह (अ.सा.-1) घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि सूचक (अ.सा.2) ने अपने पुनः बयान में कहा है कि उन्हें चंद्रशेखर सिंह ने घटना के दिन दोपहर लगभग 3.40 बजे टेलीफोन पर सूचित किया था कि कुछ बदमाशों ने पप्पू सिंह के घर पर गोलीबारी की, जिसमें मणि भूषण सिंह, देवेंद्र सिंह और दिनेश सिंह मारे गए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें पप्पू सिंह से पता चला कि एके-47 और कार्बाइन से गोलीबारी की गई थी।

25. अ.सा.-10 अनुज कुमार सिंह हैं, जो जाँच प्रतिवेदन के गवाह हैं, और मृतक मणि भूषण सिंह की जाँच प्रतिवेदन पर उनके हस्ताक्षर की पहचान की, जो उनकी पहचान पर **प्रदर्श संख्या 5/3** के रूप में प्रदर्शित की गई थी। उन्होंने मृतक देवेंद्र सिंह की जाँच प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर की भी पहचान की, जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष **प्रदर्श संख्या 5/4** के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

प्रतिपरीक्षण पर, वह दोनों प्रदर्शनों की सामग्री के बारे में गवाही देने में विफल रहे। उनके द्वारा यह भी बयान दिया गया है कि उनके समक्ष जाँच प्रतिवेदन तैयार नहीं की गई थी और उन्होंने दारोगा जी (पुलिस) द्वारा मांगी गई प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किए।

26. अ.सा.-11 भी इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। वह जब्त मोबाइलों की जब्ती सूची का गवाह है, जो निकेश राय (अपीलकर्ता/दोषी) से जब्त किए गए थे। उसने जब्ती पर अपने हस्ताक्षर किए, जो उसकी पहचान पर प्रदर्श संख्या 8 के रूप में प्रदर्शित हुए। उसने अविनाश राय (अपीलकर्ता/दोषी) के मोबाइल फोन की जब्ती सूची भी देखी, जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर किए, जो उसकी पहचान पर प्रदर्श संख्या 8/1 के रूप में प्रदर्शित हुए।

प्रतिपरीक्षण पर, उन्होंने कहा कि जब्ती सूची तैयार करने के समय उन्हें 2011 में टाउन थाना छपरा में तैनात किया गया था। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि पुलिस थाने के परिसर में जब्ती सूची तैयार की गई थी। यह भी कहा गया है कि जब उन्होंने जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किए थे, तो जब्ती सूची पर बृज मोहन राय के हस्ताक्षर भी गवाह के रूप में उपलब्ध थे।

27. अ.सा.-12, एक जब्ती सूची गवाह भी है, जिसने सीलबंद डिब्बे को खोलने के बाद जब्त किए गए खाली कारतूसों को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। इसमें 7.62 बोर के 33 खाली कारतूस, 9 मिमी बोर के 7 कारतूस, 7.62 बोर का एक जिंदा कारतूस, कुल 41 कारतूस थे, जिन्हें I से XLI तक सामग्री प्रदर्श के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित किया गया। उसने न्यायालय के समक्ष एक माइक्रोमैक्स मोबाइल, एक स्पाइस मोबाइल, एक जेन मोबाइल, एक मैक्स मोबाइल, विभिन्न कंपनियों के 13 सिम, मुकेश कुमार नाम के एक व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस, जमादार राय के नाम से एसबीआई का एटीएम कार्ड भी प्रस्तुत किया। मुकेश कुमार के पक्ष में भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, एक छोटी फोन डायरी जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के नाम और फोन नंबर, अलग-अलग फोन नंबर वाले चार कागज जो न्यायालय के समक्ष सामग्री प्रदर्श के रूप में प्रदर्शित किए गए जिनमें धारा XLII से धारा LII तक शामिल हैं।

प्रतिपरीक्षण पर, उनके द्वारा यह कहा जाता है कि किसी भी कागजात पर

पुलिस कर्मियों के हस्ताक्षर नहीं थे। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रदर्शित सामग्री वाले सीलबंद थैले पर पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह भी कहा गया है कि सीलबंद थैले पर जो स्केच पेन में है, उस पर किसी भी पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त थैले पर मेसर्स सुदर्शन ज्वेलर्स का नाम भी लिखा था। उन्होंने कहा कि किसी भी कारतुस में विशिष्ट कागज नहीं था, जिसमें विशिष्ट निशान थे। उन्होंने यह भी कहा कि वह चश्मे के अभाव में चुनाव पहचान-पत्र में उल्लिखित व्यक्ति का नाम नहीं पढ़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब्त किए गए किसी भी मोबाइल पर मोबाइल नंबर नहीं लिखा है और यह भी कि किसी भी मोबाइल को सील नहीं किया गया था। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि जब्ती सूची जाली है और केवल अभियोजन उद्देश्य के लिए तैयार की गई थी।

28. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का मुख्य तर्क यह है कि अ.सा.-1, अर्थात् मंजीत कुमार सिंह, जो घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी है, के कथन पर कई विरोधाभासों के कारण विश्वास नहीं किया जा सकता। अ.सा.-8, जो कि नंदू शर्मा है, जैसा कि उसकी प्रतिपरीक्षण के कंडिका-6 में कहा गया है, के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि सूचक अ.सा.-2, अर्थात् शशि भूषण सिंह ने उसके समक्ष कहा कि जब वह घटनास्थल पर गया था, तो अ.सा.-1 वहाँ उपलब्ध नहीं था और उसे घटना के बारे में घटना की अगली तारीख को मंजीत (अ.सा.-1) से पता चला। अ.सा.-9, अर्थात् अरुण कुमार तिवारी, जो इस मामले के द्वितीय अनुसंधान अधिकारी हैं, जैसा कि कंडिका-9 में कहा गया है, के बयान से यह भी प्रतीत होता है कि मंजीत सिंह का बयान 21.07.2011 को उसके गाँव बैकुंठपुर में दर्ज किया गया था। उनके बयान के कंडिका-8 से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने घटनास्थल पर राजेश सिंह नाम के व्यक्ति का बयान दर्ज किया था, जिसने लिखित जानकारी के विवरण का समर्थन किया था। उनके बयान के कंडिका 14 से ऐसा प्रतीत होता है कि अ.सा.-1 ने उन्हें बताया था कि वह घटना के तुरंत बाद मोटरसाइकिल से उनके घर आया

था और उसका बयान 21.07.2011 को सुबह 1.45 बजे उनके निवास पर दर्ज किया गया था। अ.सा.-9 ने विशेष रूप से यह बयान दिया कि मंजीत सिंह (अ.सा.-1) के अलावा, चंद्रशेखर सिंह और मृत्युंजय इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। अ.सा.-9 को घटनास्थल पर एक लकड़ी की खाट यानी चौकी मिली, जहाँ अ.सा.-1 ने घटना के दौरान उसे अपीलकर्ताओं/दोषियों से छुपाया था और यह बात अ.सा.-1 के बयान से भी पुष्ट होती प्रतीत होती है। विरोधाभासों की इन पृष्ठभूमियों को देखते हुए, अ.सा.-1 (एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी), अ.सा.-2 (सूचक) के बयानों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने पर, जो इस मामले के अनुसंधान अधिकारी हैं जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बयानों में विरोधाभास की प्रकृति मामूली है और ऐसी नहीं है कि हम अ.सा.-1 के, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, पर्याप्त बयान पर अविश्वास करने के लिए आश्वस्त हो सकें, क्योंकि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, और उसकी उपस्थिति को नकार सकते हैं।

29. अ.सा.-1 के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति जो उस कमरे (घटनास्थल) में उपस्थित हुआ जहाँ मृतक मौजूद थे, वे अपीलकर्ता/दोषी निकेश राय उर्फ पीयूष राज और अपीलकर्ता/दोषी अविनाश राय हैं, जिन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की जिससे सूचक के भाई, अर्थात्, मणि भूषण सिंह, देवेंद्र सिंह और दिनेश यादव की मौत हो गई। उसके बयान से ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है कि अपीलकर्ता/दोषी शंभू राय वहाँ मौजूद था या ऐसा कुछ भी है जो उसे इस घटना से साजिशकर्ता के रूप में जोड़ सके या समान इरादे वाले व्यक्ति के रूप में। उसने अपनी पूरी गवाही के दौरान अपीलकर्ता/दोषी का नाम तक नहीं लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता/दोषी, अर्थात् शंभू राय का नाम पहली बार सूचक (अ.सा.-2) के बयान में आया है, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और उसने इस अपीलकर्ता/दोषी का नाम पूर्व मुकदमों/शत्रुताओं से उत्पन्न संदेह के आधार पर लिया था, जहाँ यह बयान दिया गया था कि अपीलकर्ता/दोषी ने एक लाइनर के रूप में काम किया था, लेकिन न तो उसके बयान से और न ही अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से ऐसा कुछ सामने

आया, जो वर्तमान घटना में अपीलकर्ता/दोषी शंभू राय की संलिप्तता के संबंध में उसके कथन का समर्थन कर सके। तीनों मृतकों की शव-परीक्षण प्रतिवेदन से, जैसा कि अ.सा.-5, अ.सा.-6 और अ.सा.-7, जो डॉक्टर हैं, के बयानों से पता चलता है, यह पता चलता है कि मृत्यु गोली लगने से हुई थी। अनुसंधान अधिकारियों अ.सा.-8 और अ.सा.-9 को कमरे की दीवारों पर गोलीबारी के कई निशान मिले और घटनास्थल से लगभग 40 खाली कारतूस और एक मिसफायर कारतूस भी बरामद किया, जो अपीलकर्ता/दोषी द्वारा दिए गए अंधाधुंध गोलीबारी के बयान का समर्थन करते हैं। अ.सा.-1, मंजीत कुमार सिंह से प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे चश्मदीद गवाह होने के नाते, विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए उनके बयान पर संदेह पैदा हो।

30. उपरोक्त तथ्य में, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अ.सा.-1 के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य और ज़ब्ती सूची से भी होती है। अ.सा.-1, जो प्रत्यक्षदर्शी है, की गवाही पर केवल इसलिए अविश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी गवाही में कुछ मामूली, सामान्य या स्वाभाविक विरोधाभास दिखाई दिए हैं। मृतकों पर अपीलकर्ताओं/दोषियों निकेश राय उर्फ पीयूष राज और अविनाश राय द्वारा दिनदहाड़े हमला किया गया था, जहाँ हमले के पीछे का मकसद स्पष्ट है क्योंकि आरोपी/अपीलकर्ता/दोषी के बीच सूचक (अ.सा.-2) के रूप में पूर्व दुश्मनी थी।

31. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम आश्चस्त हैं कि 2018 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 117 के अपीलकर्ता निकेश राय उर्फ पीयूष राज और 2018 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 199 के अविनाश राय की दोषसिद्धि और सजा के आदेश के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

32. अतः, अपीलकर्ता निकेश राय उर्फ पीयूष राज, आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.117/2018 और अविनाश राय, आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.199/2018 की अपीलें, उनकी दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज की जाती हैं, जैसा कि विद्वान

विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2017 के आदेश और निर्णय और दिनांक 22.12.2017 को सारण के विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश IX द्वारा सत्र परीक्षण सं.107/2012/4868/2014 (जो छपरा टाउन थाना कांड सं.154/2011 से उद्भूत हुआ था) में पारित सजा के माध्यम से माना गया था।

33. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता/दोषी, अर्थात् शंभू राय की ओर से अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से किसी भी सामान्य इरादे या साजिश को स्थापित करने में विफल रहा, ताकि उसके अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित किया जा सके।

34. तदनुसार, अपीलकर्ता, अर्थात्, शंभू राय की अपील स्वीकार की जाती है।

35. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश IX, सारण, छपरा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 107/2012/4868/2014 (छपरा नगर थाना काण्ड संख्या 154/2011 से उद्भूत) में पारित दिनांक 18.12.2017 का आक्षेपित आदेश एवं निर्णय तथा दिनांक 22.12.2017 की सजा को अपीलकर्ता/दोषी शंभू राय के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता न हो।

36. अपीलकर्ता/दोषी द्वारा भुगतान किया गया कोई भी जुर्माना शंभू राय को तुरंत वापस किया जाए।

(ए. एम. बदर, न्यायमूर्ति)

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

वीणा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।